जे. संजय कुमार के समक्ष

परवास कौल-याचिकाकर्ता

बनाम

पारुल कौल- प्रतिवादी

सी. आर. **No.2017** का **1330**

02 नवंबर, 2019

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908**-ओ. **6** आर. **17** का प्रावधान-विभाजन के माध्यम से कब्जे के लिए मुकदमा-वादी/पत्नी दावा संपत्ति/घर में आधा हिस्सा चाहती है-प्रतिवादी/पति द्वारा लिखित बयान में संशोधन करने के लिए आवेदन, उसके द्वारा भुगतान किए गए धन के समायोजन के बाद दावा संपत्ति के आनुपातिक हिस्से का दावा करना-वकील के परिवर्तन की याचिका-आवेदन अस्वीकार कर दिया गया-आयोजित, वकील के परिवर्तन का आधार ओ. **6** आर. **17** के धारा की आवश्यकता की कमी है-उचित परिश्रम का अभ्यास नहीं दिखाता है-मांगे गए संशोधन के पहलू प्रतिवादी के ज्ञान में थे-और वास्तव में, लिखित बयान में कहा गया था-इसके अलावा, संशोधन को अनावश्यक माना गया क्योंकि निचली अदालत स्वयं पक्षों को देखकर मुकदमे की संपत्ति में पार्टियों की हिस्सादरी निर्धारित करने के लिए बाध्य थी। इसके विपरीत ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को अनुचित ओर अंतिम निर्णयों कै लिए बाध्यकारी नही माना गया

मान लिया जाए कि, संशोधन आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा उस स्तर पर लिखित बयान में संशोधन की मांग के लिए उद्धृत एकमात्र आधार उसके वकील का परिवर्तन था।जबकि, आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान में आदेश दिया गया है कि न्यायालय को मुकदमा शुरू होने के बाद मुकदमे में किसी भी पक्ष द्वारा अभिवचनों में संशोधन की अनुमति तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि ऐसा पक्ष न्यायालय के संतोष के लिए यह स्थापित नहीं करता है कि वह इस तरह के प्रारंभ से पहले उचित परिश्रम करने के बावजूद इस तरह के मुद्दे को चलाने की स्थिति में नहीं था। वर्तमान मामले में, संशोधन आवेदन में उद्धृत आधार आवश्यक मानक से बहुत कम है। वकील का परिवर्तन यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है कि एक पक्ष ने उचित परिश्रम किया था।

(पैरा 9)

आगे यह कहा गया कि लिखित कथन में जोड़े जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त अनुच्छेद के अनुसार, अब प्रतिवादी द्वारा जिन पहलुओं को प्रस्तुत करने की मांग की गई है, वे उसके लिखित कथन दाखिल करने की तारीख तक भी उसके ज्ञान में थे।वास्तव में, उन्होंने विशेष रूप से प्रारंभिक आपत्ति-6 में उन्हीं पहलुओं पर जोर दिया।यह केवल एक वैकल्पिक राहत का माध्यम है और अब वह उसमें जो निर्धारित किया गया था उसे दोबारा दोहराना चाहता है (पैरा 10)

आगे कहा गया कि, इस प्रकार देखे जाने पर, इस न्यायालय की राय है कि पुनरीक्षण के अधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।पहला, संशोधन आवेदन आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान द्वारा प्रस्तुत कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं करता था और दूसरा, क्योंकि प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक था।जैसा कि विद्वान वकील श्री अमित जैन ने सही तर्क दिया है, निचली अदालत पक्षकारों के अधिकारों को उनके शेयरों का निर्धारण करके घोषित करने के लिए बाध्य है।जब न्यायालय स्वयं इस तरह का कार्य करने के लिए बाध्य है, तो उस संबंध में एक प्रार्थना आवश्यक या जरूरी भी नहीं है। पक्षकारों के शेयरों का निर्धारण और घोषणा करते समय निचली अदालत को अनिवार्य रूप से सभी सहवर्ती कारणों पर विचार करना होगा।जैसा कि प्रतिवादी ने पहले ही अपने लिखित बयान में इस मुद्दे को उठाया है, निचली अदालत अपने गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार इससे निपटने के लिए बाध्य है।इसलिए पुनरीक्षण के तहत आदेश में निचली अदालत द्वारा की गई इसके विपरीत टिप्पणियां अनुचित थीं और मुकदमे के अंतिम निर्णय के चरण में बाध्यकारी नहीं होंगी।

(पैरा 12)

अमित जैन, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।
सचिन मित्तल, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए।

संजय कुमार, जे।

(1) संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर इस नागरिक संशोधन में याचिकाकर्ता पति है और इसमें प्रतिवादी उसकी पत्नी है।

(2) प्रतिवादी-पत्नी ने माननीय सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गुरुग्राम (इसके बाद, 'ट्रायल कोर्ट') के सामने 2014 का सिविल सूट No.31037 दायर किया, जिसमें विभाजन के माध्यम से कब्जे के लिए प्रारंभिक डिग्री की प्रार्थना की गई, जिसमें घोषणा की गई कि उसका हिस्सा आधा है और याचिकाकर्ता-पति, प्रतिवादी का हिस्सा, याचिका के पैरा-1 में विस्तृत घर की संपत्ति के संबंध में शेष आधा है।याचिकाकर्ता-पति ने अप्रैल, 2015 में मुकदमे के दावे को चुनौती देते हुए अपना लिखित बयान दायर किया।इसके बाद, उन्होंने 17.12.2015 पर आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रारंभिक आपत्ति-6 में एक पैराग्राफ जोड़कर अपने लिखित बयान में संशोधन करने की मांग की गई। आदेश दिनांक 06.02.2017 को निचली अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया।इससे व्यथित होकर वह इस न्यायालय के समक्ष है।

(3) इस संशोधन में पारित दिनांक 22.02.2017 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निचली अदालत को इस संशोधन की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 22.03.2017 से आगे मामले को स्थगित करने का निर्देश दिया। इसके बाद, उक्त अंतरिम आदेश जारी रखा गया और आज तक लागू है।वास्तव में, मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।

(4) इसके बाद पार्टियों को मुकदमे में सूचीबद्ध के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

(5) जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, वादी ने दावा किया कि उसके पास मुकदमे की संपत्ति में आधा हिस्सा है और प्रतिवादी को शेष आधे हिस्से का मालिक बताया गया था।अपने लिखित बयान में, प्रतिवादी ने विशेष रूप से कहा कि पक्षों ने 2001 में शादी की थी और बैंक ऋण प्राप्त करने के बाद वर्ष 2003 में सूट हाउस संपत्ति खरीदी थी।उनके अनुसार, उक्त ऋण को दूसरे बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसके बाद, घर को सवारने के लिए एक नए ऋण का भी लाभ उठाया गया था।उन्होंने दावा किया कि दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की थी कि ऋण पुनर्भुगतान किश्तों को उनके द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा, लेकिन वैवाहिक संबंधों में गिरावट के बाद, वादी ने अपने हिस्से का भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे बैंक द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू की गई।उन्होंने आगे दावा किया कि इस विकास के कारण, उनके पास अपने दम पर ऋण की किश्तों का भुगतान करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।उन्होंने पक्षों द्वारा और उनके बीच किए गए एक निजी समझौते पर भी

भरोसा किया, जो इस निर्णय के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऋण पुनर्भुगतान के लिए कुल 39,65,175/- का भुगतान किया है, जिसमें से वादी का हिस्सा 19,82,588/- होगा। नतीजतन, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह संपत्ति के विभाजन की मांग करने की हकदार नहीं हैं।

(6) अपने प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से, प्रतिवादी एक अनुच्छेद जोड़ना चाहता था, जिसमें अभिकथन इस प्रभाव के थे कि यदि निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी विभाजन की राहत का हकदार है, तो उसे वादी द्वारा देय हिस्से सहित ऋण पुनर्भुगतान के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए कुल धन के समायोजन के बाद वाद संपत्ति में आनुपातिक हिस्से का हकदार ठहराया जाना चाहिए।

(7) हालाँकि, निचली अदालत ने संशोधन के तहत आदेश के माध्यम से कहा कि प्रस्तावित संशोधन की कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि पक्षों के शेयरों के तथ्य का उनमें से किसी द्वारा भी ऋण किश्तों का भुगतान न करने से कोई लेना-देना नहीं है और ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के मामले में, लेनदार के पास वसूली के के साथ आगे बढ़ने का अपना अधिकार होगा। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, एक या दूसरे पक्ष द्वारा किश्तों के असमान भुगतान से उनमें से किसी के भी हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पीड़ित पक्ष वसूली/मुआवजे के लिए मुकदमा दायर कर सकता है, जैसा कि कानून में अनुमत था।इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि प्रतिवादी ने पहले ही बैंक ऋण के विवरण और वादी द्वारा किश्तों का कथित रूप से भुगतान न करने का उल्लेख किया था, निचली अदालत ने राय दी कि वास्तविक विवाद का फैसला करने के लिए संशोधन आवश्यक नहीं था।इसी आधार पर निचली अदालत ने प्रस्तावित संशोधन को अस्वीकार कर दिया।

(8) याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अमित जैन इस बात पर जोर देंगे कि आदेश 20 नियम 18 (2) सी. पी. सी. के संदर्भ में, निचली अदालत अलग -अलग शेयरों का निर्धारण करके पक्षों के अधिकारों की घोषणा करने के लिए बाध्य थी और इसलिए, संशोधन आवेदन को खारिज करना उचित नहीं था।उनके अनुसार, वाद संपत्ति में अपने हिस्से का निर्धारण करते समय प्रतिवादी द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।वह प्रस्तुत करेगा कि प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावा करने का सवाल इस मामले में उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि मुकदमा एक विभाजन मुकदमा था, जिसमें वादी ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी का मुकदमे की संपत्ति में हिस्सा था।इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, अपने हिस्से की सीमा के संबंध में प्रतिवादी का दावा आदेश 6 नियम 6-ए सी. पी. सी. के अनुसार एक जवाबी दावा नहीं होगा। हालाँकि, वह इस तथ्य

पर विवाद नहीं करते हैं कि जब तक संशोधन आवेदन दायर किया गया था, तब तक निचली अदालत ने मुकदमे के लिए मुद्दों को पहले ही सुलझा लिया था।

(9) महत्वपूर्ण रूप से, वादी ने संशोधन आवेदन के जवाब में दायर अपनी आपत्तियों में इस पहलू को उठाया।उसमें, उन्होंने कहा कि मुद्दों को तैयार करने के बाद, न्यायालय के पास उस याचिका से संबंधित संशोधन की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो प्रतिवादी की जानकारी में था, लेकिन आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान के अनुसार मुकदमा शुरू होने से पहले नहीं उठाया गया था,संशोधन आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा उस स्तर पर लिखित बयान में संशोधन की मांग के लिए उद्धृत एकमात्र आधार उसके वकील का परिवर्तन था।तथापि, आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के परंतुक में आदेश दिया गया है कि न्यायालय को मुकदमा शुरू होने के बाद मुकदमे में किसी भी पक्ष द्वारा अभिवचनों में संशोधन की अनुमति तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि ऐसा पक्ष न्यायालय के संतोष के लिए यह स्थापित नहीं करता है कि वह इस तरह के प्रारंभ से पहले उचित परिश्रम करने के बावजूद इस तरह के मुद्दे को उठाने की स्थिति में नहीं था। वर्तमान मामले में, संशोधन आवेदन में उद्धृत आधार आवश्यक मानक से बहुत कम है।वकील का परिवर्तन यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है कि एक पक्ष नेउचित परिश्रम का प्रयोग किया।

(10) इसके अलावा, अब प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में जोड़े जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त पैराग्राफ के माध्यम से जिन पहलुओं को पेश करने की मांग की गई थी, वे उसके लिखित बयान दाखिल करने की तारीख तक भी उसके ज्ञान में थे।वास्तव में, उन्होंने विशेष रूप से प्रारंभिक आपत्ति-6 में उन्हीं पहलुओं पर जोर दिया।यह केवल एक वैकल्पिक राहत के माध्यम से है कि वह अब उसमें जो निर्धारित किया गया था उसे फिर से लिखना चाहता है।

(11) विद्वान वकील श्री अमित जैन ने प्रस्तुत की हुई उषा बालासाहेब स्वामी और अन्य बनाम किरण अप्पासो स्वामी और अन्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि वह मुकदमा शुरू होने से पहले अभिवचनों के संशोधन से संबंधित मामला था।इसलिए आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया।

(12) इस प्रकार देखने पर, इस न्यायालय की राय है कि संशोधन के तहत आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।पहला, संशोधन आवेदन आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के

अधिनयम द्वारा प्रस्तुत कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं करता था और दूसरा, क्योंकि प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक था।जैसा कि विद्वान वकील श्री अमित जैन ने सही तर्क दिया है, निचली अदालत पक्षकारों के अधिकारों को उनके शेयरों का निर्धारण करके घोषित करने के लिए बाध्य है।जब न्यायालय स्वयं इस तरह की कवायद करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, तो उस संबंध में एक प्रार्थना आवश्यक या जरूरी भी नहीं है।पक्षकारों के शेयरों का निर्धारण और घोषणा करते समय विचारण न्यायालय को अनिवार्य रूप से सभी सहवर्ती कारकों पर गौर करना होगा।जैसा कि प्रतिवादी ने पहले ही अपने लिखित बयान में इस मुद्दे को उठाया है, निचली अदालत अपने गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार इससे निपटने के लिए बाध्य है।इसलिए पुनरीक्षण के तहत आदेश में निचली अदालत द्वारा की गई इसके विपरीत टिप्पणियां अनुचित थीं और मुकदमे के अंतिम निर्णय के चरण में बाध्यकारी नहीं होंगी।

(13) इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए, सिविल संशोधन का निपटारा किया जाता है, लेकिन 2017 का सिविल संशोधन संख्या 1330 परिस्थितियों में, लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

त्रिभुवन दहिया

1 2007) 5 एस. सी. सी. 602

विकास (अनुवादक)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है! सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उदेशयो के लिए निर्णय का अंग्रेजी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानवयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।